रजिस्टी सं. डी. एल.-33004/99

सं. 8301

REGD, NO, D. L.-33004/99



The Gazette of India अम्राधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नर्ड दिल्ली, सोमवार, जलाई 31, 2006/श्रावण 9, 1928 NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2006/SRAVANA 9, 1928 No. 830]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2006

का.आ. 1227(अ).—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों से संबंधित भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 729(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 का संशोधन करने के लिए, मछली और मछली उत्पादों में बेनजों (क) पायरेन की सीमा को विनिर्दिष्ट करने के लिए निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन बनाए गए, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में भारत सरकार के आदेश सं. का.आ. 1067(अ) तारीख 28 जुलाई, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे;

और उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रस्तावों पर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों से संबंधित भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 729(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे, अर्थात् :--

उक्त आदेश की अनुसूची-1 में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

- 1. अर्ध पकी मछली के ऊपरी मांस और उत्पाद में बेंजों(अ) पायरेन का स्तर 5 पीपीबी से अधिक नहीं (कुल भार) होना चाहिए; "(i)
 - अर्ध पकी मछली से भिन्न किसी मछली के ऊपरी मांस के बेंजों(अ) पायरेन का स्तर 2 पीपीबी से अधिक नहीं (कुल भार) होना 2. चाहिए: और
 - अर्ध पकी मछली से भिन्न मछली केमोलक्कस, क्रिस्टिसियन और कैफलोपोड्स बाइवाल में बेंजों(अ) पायरेन का स्तर 5 पीपीबी से अधिक नहीं होना चाहिए (कुल भार)।"

[फा. सं. 6/2/2001-ईआई एण्ड ईपी] एम.वि.पि.सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

टिष्पण : मूल आदेश सं. का.आ. 729(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सं. का.आ. 792(अ). तारीख 17 अगस्त, 2001, सं. का.आ. 722(अ) तारीख 10 जुलाई, 2002, सं. का.आ. 464(अ) तारीख 24 अप्रैल, 2003 और सं. का.आ. 1227(अ) तारीख 23 अक्तूबर, 2003 के द्वारा संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 31st July, 2006

S.O. 1227(E).—Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for amending the order No. S.O. 729(E), dated 21st August, 1995 relating to Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products of the erstwhile Ministry of Commerce, Government of India for specifying the limits of benzo (a) pyrene in fish and fishery products were published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, under S.O. 1067(E) dated 28th July. 2005, as required under sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 made under the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963;

And, whereas, the objections and suggestions were invited from all the persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And, whereas, the objections and suggestions were not received from the public on the said proposals by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce No. S.O. 729(E) dated 21st August, 1995 relating to the Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products which shall take effect on the date of its publication in the Official Gazette, namely :---

In the said Order, in Schedule-I after clause (h), the following clause shall be inserted, namely :--

- "(i) 1. The level of benzo(a) pyrcne in muscle meat of smoked fish and smoked fishery products shall not exceed 5 pph (wet weight);
 - 2. The level of benzo(a) pyrene in muscle meat of fish other than smoked fish shall not exceed 2 ppb (wet weight) and;
 - 3. (The level of benzo(a) pyrene in bivalve molluses, crustacean and cephalopods other than smoked shall not exceed 5 ppb (wet weight)."

[F. No. 6/2/2001-ET& EP]

M.V.P.C. SASTRY, Jt. Secv.

Note: The principal Order was published vide No. S.O. 729(E) dated 21st August, 1995 and subsequently amended vide No. S.O. 792(E) dated 17th August, 2001, No. S.O. 722(E), dated 10th July, 2002, No. S.O. 464(E), dated 24th April, 2003 and No. S.O. 1227(E), dated 23rd October, 2003.

Printed by the Manager, Gost. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2